

### प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु राज्य योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 1648/111-2/13-52 (प्रा0आ0)/2012 दि0 04.03.2013 द्वारा 10.00 किमी0 लम्बाई हेतु रु0 125.80 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। किन्तु ग्राम बौला मात्र 7.00 किमी0 लम्बाई में ही मोटर मार्ग से जुड़ रहा है। इसलिये मार्ग 7.00 किमी0 लम्बाई में ही वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया गया है। जिसके विरुद्ध मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.45 हे0 एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.09 हे0 कुल 2.54 हे0 सिविल/वन पंचायत वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

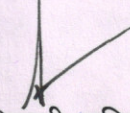
इस मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति विकासखण्ड दशोली में पर्वतीय एवं दूरस्थ ग्राम कौंज, पोथनी, खान्डरा, बौला आदि ग्रामों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है। उक्त संरेखण में ग्रामवासियों की पूर्ण सहमति प्राप्त है।

उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, किन्तु संरेखण नं0 1 इस प्रकार तय किया गया कि इसमें न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें साथ ही इस संरेखण के मध्य कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, धार्मिक स्थल आदि नहीं पड़ते हैं, संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, भूगर्भीय दृष्टि से यह उचित पाया गया है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नहीं कर सकता है। क्योंकि संरेखण नं0 2 में अधिक वन सम्पदा का नुकसान होने के साथ ही एच0पी0 बैण्डों की संख्या (6) भी अधिक आ रही है, जिस कारण मार्ग एवं गांव के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः प्रस्तावित संरेखण नं0 1 उपयुक्त है, इस संरेखण में 2.54 हे0 में ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जा रहा है, मार्ग का निर्माण 7.00 मीटर चौड़ाई में किया जायेगा तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौड़ाई में ही की गयी है, जिसकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः 7.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग मार्ग निर्माण हेतु 2.45 हे0 एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.09 हे0 कुल 2.54 हे0 सिविल वनभूमि की आवश्यकता है, जो न्यूनतम है। उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

  
कनिष्ठ अभियन्ता

  
सहायक अभियन्ता

  
अधिसासी अभियन्ता  
प्रा0 खं0 लो0नि0वि0,  
गोपेश्वर